

प्रेषक :

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री राम विद्या मन्दिर जैनपर हाई स्कूल,  
नागौरवा, विकास क्षेत्र मवाना पो. फलाकटा  
मेरठ

पत्रांक सं० शि० सं० / 11278-81/95-96

दिनांक 25-3-95

विषय :—अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के विषय में ।

महोदय/महोदया

शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18 एस. (7) 89 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है । प्रत्येक कक्षा हेतु एक बर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है ।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे ।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा / प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे । शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा ।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
प्रथम मण्डल, मेरठ

पू० सं० शि० सं० /

/ दिनांक .....

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- अपर जिला निदेशक (बेसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
- 2- सचिव उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 3- समस्त जिला बेसिक अधिकारी मेरठ मण्डल, मेरठ ।
- 4- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ।
- 5- जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ।
- 6- उप विद्यालय निरीक्षक / शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका जनपद । मेरठ
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल ।

Principal  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)

Chairman  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
प्रथम मण्डल, मेरठ ।



# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक/प्रबन्ध/

/2020-21 दिनांक :- 02/01/2021

प्रबन्धक,

श्री राम विद्या मन्दिर जू0हा0 स्कूल, नागौरी  
विकास क्षेत्र मवाना पोस्ट फलावदा, (मेरठ)।

महोदय,

आपकी संस्था को कार्यालय पत्रांक/सं0-शि0स0/11278-81/95-96 दिनांक 25.03.1996 के द्वारा कक्षा-06 से 08 उच्च माध्यमिक स्तर की बी0 श्रेणी की मान्यता मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ द्वारा निर्गत की गयी थी।

आपके प्रार्थना पत्र मयशपथपत्र दिनांक 06.10.2020 के माध्यम से श्री राम विद्या मन्दिर जू0हा0 स्कूल का नाम संशोधित कर "सावित्री सोनी विद्या मन्दिर" करने का अनुरोध किया है।

प्रबन्धाधिकरण समिति के प्रस्ताव व शपथपत्र के आधार पर कार्यालय पत्रांक/सं0-शि0स0/11278-81/95-96 दिनांक 25.03.1996 के द्वारा निर्गत मान्यता जो श्री राम विद्या मन्दिर जू0हा0 स्कूल के नाम से है को संशोधित करते हुए "सावित्री सोनी विद्या मन्दिर" किया जाता है।

(सतेन्द्र कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मेरठ।


पू0सं0/प्रबन्ध/ 5396-97


/2020-21 दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मवाना (मेरठ)।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मेरठ।

  
Principal  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)

  
Chairman  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

- सरस्वती शैक्षा मन्दिर - -  
ग्राम नागौरी फलावदा मेरठ ।

पत्रांक- शि0स0/

377

196 - 97 दिनांक 16-4-96

विषय:-

प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16-4-96 - - में  
लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विधालय को जुलाई 1995 - से प्राइमरी  
स्तर की कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की स्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रावधानों  
के साथ प्रदान की जाती है ।

यदि आपके द्वारा विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया  
जाए तो विधालय के प्रति कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मान्यता समाप्त  
करने का अधिकारी, अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित होगा ।

- 1- तमिस्त का समानुसार नवीनीकरण एवं चुनाव का अनुसूचित प्रणाली ।
- 2- छात्रो विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शुल्क लिया जाये ।
- 3- विभाग द्वारा स्वीकृत बुस्तके ही विधालय में प्रदायी जाये ।
- 4- किसी भी प्रशिक्षित अध्यापक/ अध्यापिका को विना विभाग को पूर्व  
स्वीकृति विना न हटाया जाये ।
- 5- विधालय के विरुद्ध शिकायत होने पर , विवाद होने पर मान्यता समाप्त  
कर दी जायेगी ।
- 6- शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियो के बच्चो को निशुल्क शिक्षा  
प्रदान की जाये ।
- 7- विभागीय आदेशों का पालन किया जाये ।
- 8- अप्रशिक्षित अध्यापक/ अध्यापिकाओ के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक/  
अध्यापिकाओ की नियुक्ति की जाये ।
- 9- विधालय की प्रगति प्रति वर्ष कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये ।
- 10- विधालय के अध्यापक/ अध्यापिकाओ /कर्मचारियो को नियमानुसार  
वेतन का भुगतान किया जाये ।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
मेरठ ।

पू0 सं0- शि0स0/

16/4/96 दिनांक उक्त ।

प्रतिनिधि निम्नांकित अधिकारियो की सेवा में सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- उप विधालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 2- शिक्षा अधीक्षक, मेरठ, मवाना, बडौत ।

Principal  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)

Chairman  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
मेरठ ।



# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक/प्रबन्ध/

/2020-21 दिनांक :- 02/01/2021

प्रबन्धक,  
सरस्वती शिक्षा मन्दिर  
ग्राम नागौरी फलावदा  
(मेरठ)।

महोदय,

आपकी संस्था को कार्यालय पत्रांक/शि0स0/377/96-97 दिनांक 16.04.1997 के द्वारा कक्षा-01 से 05 प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता निर्गत की गयी थी।

आपके प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र दिनांक 06.10.2020 व 18.11.2020 के माध्यम से सावित्री शिशु मन्दिर ग्राम नागौरी फलावदा, मेरठ का नाम संशोधित कर "सावित्री सोनी विद्या मन्दिर" ग्राम नागौरी फलावदा, मेरठ करने का अनुरोध किया है।

प्रबन्धाधिकरण समिति के प्रस्ताव व शपथपत्र के आधार पर कार्यालय पत्रांक/शि0स0/377/96-97 दिनांक 16.04.1997 के द्वारा निर्गत मान्यता जो सरस्वती शिक्षा मन्दिर ग्राम नागौरी फलावदा, मेरठ को संशोधित करते हुए "सावित्री सोनी विद्या मन्दिर" किया जाता है।

(सतेन्द्र कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मेरठ।

पृ0सं0/प्रबन्ध/ 5391-92


/2020-21 दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मवाना (मेरठ)।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मेरठ।

  
Principal  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)

  
Chairman  
Savitri Soni Vidya Mandir  
Nagauri (Meerut)